बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री दिनेश कुमार एकलव्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक– 1687 दिनांक– 05.02.2015 द्वारा श्री एकलव्य के विरूद्ध अपराधिक षडयंत्र कर सुनियोजित तरीके से विचलन कर चावल की कालाबाजारी एवं चावल गबन कर बिहार राज्य खाद्य निगम को क्षति पहुँचाने संबंधित प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2550 दिनांक– 25.03.2015 द्वारा निलम्बित किया गया । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक– 543 दिनांक– 12.06.2015 द्वारा श्री एकलव्य के विरूद्ध सी0एम0आर0 गढबनैली एवं शीशाबाड़ी गोदाम में लापरवाही, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता के साथ सांठ–गांठ कर एकरारनामा में अंकित शर्तो का जानबुझकर उल्लंघन कर सरकार को वित्तीय हानि पहूँचाने, सी0एम0आर0 गोदाम के स्टॉक का विधिवत संधारण नहीं करने संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापांक– 9357 दिनांक– 17.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । साथ ही पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने संबंधित गठित पूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की प्रति विभागीय पत्रांक– 803 दिनांक– 03.02.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए श्री एकलव्य के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इसकी विभागीय समीक्षा में श्री एकलव्य के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाये गये, जो पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग एवं कदाचार के आरोपों के साथ उनके भ्रष्ट आचरण एवं अशोभनीय कार्य को प्रमाणित करता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री एकलव्य से विभागीय पत्रांक– 125 दिनांक– 05.01.2018 द्वारा लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग गयी । द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर में श्री एकलव्य द्वारा मूल रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गयी है जो उनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण में किया गया हैं। साथ ही आरोप संख्या--04 यथा पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने संबंधित आरोप के संबंध में स्थानीय मुखिया एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिवेदन जिसके आलोक में उक्त आरोप को प्रमाणित माना गया है, को श्री एकलव्य द्वारा निराधार बताया गया, परन्तु इसकी सत्यता की जॉच की मांग न तो जॉच पदाधिकारी और न ही विभाग से उनके द्वारा की गयी एवं न ही इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । फलतः विभागीय समीक्षा में श्री एकलव्य द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया ।

4. अतः श्री दिनेश कुमार एकलव्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ) के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना, कालाबाजारी करना, सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाना, सेवा संहिता एवं आचार नियमावली के विपरीत आचरण करना संबंधित गंभीर कदाचार का आरोप प्रमाणित होने के लिये उन्हें सरकारी सेवा में बनाये रखना न्यायोचित नहीं है । फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(XI)

D:\backup\Year_2016(PK)\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord. doc.AKS

के प्रावधानानुसार श्री दिनेश कुमार एकलव्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ) को निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

"सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी ।"

5. श्री एकलव्य को निलम्बन अवधि का निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 पूर्णियाँ–49/2017 2062 /खाद्य,पटना/दिनांक 27-04-18
प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप निदेशक खाद्य पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ–सह–संचालन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी 01, 03, 08 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री दिनेश कुमार एकलव्य, तत्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) सम्प्रति निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।